

अध्याय 7

प्रतिकर के लिये वाद

धारा 29. प्रतिकर के लिये वाद लाने के अधिकार की व्यावृत्ति - किसी बात के यहाँ अन्तर्विष्ट होते हुए, किसी व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति, फसल या भूमि के अन्य पैदावार को पशुओं के अतिचार से क्षति पहुँची हो या जिसे कोई आघात या चोट या व्यवधान हुआ हो किसी सक्षम न्यायालय में प्रतिकर के लिये वाद करने में प्रतिषिद्ध नहीं करती है।

धारा 30. मुजरा करना - सिद्धदोष करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश से इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति की संदत्त किसी प्रतिकर को, ऐसे वाद में प्रतिकर के रूप में, उसके द्वारा दावा की गई या उसे दिलाई गई किसी राशि के प्रति मुजरा किया जा सकेगा या उसमें से काटा जा सकेगा.